न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मै0न0 – 42/2023

अनवान : –

1 दिनेश कुमार पुत्र रामगोपाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 16 एस. एल.डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

बनाम्

प्रार्थी

1. रामगोपाल } पि0 लिछमण जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 16 एस. एल. डबल्यू
2. शिशपाल } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. विमला पुत्री लिछमण पत्नी साहबराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 16 एस. एल. डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री महावीर वर्मा **प्रार्थी**
श्री करनैलसिह:– **अप्रार्थी स0 1**
श्री अलिन सिडाना **अप्रार्थी स0 2**
श्री कर्मजीत सिंह **अप्रार्थी स0 3**

निर्णय दिनांक:– 23/4/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के दादा लिछमण राम के नाम से चकनं0 3 केएसपी खाता सं0 84 में कुल 4.554 है0 व चकनं0 5 केएसपी खाता सं0 79 में कुल 2.277 है0 व प्रार्थी की बुआ अप्रार्थीया सं0 3 के नाम से चकनं0 16 एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 128 में कुल 1.518 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फोटो कॉपी जमाबन्दीयॉ संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी का दादा फौत हो चुका है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी विरास्तन की सम्पति है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सहदायिक परिवार के सदस्य है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजी में विरास्तन सम्पति होने के कारण प्रार्थी का हक व हिस्सा बनता है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 मे वर्णित आराजी अप्रार्थीया सं0 3 के हिस्सा की भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के कब्जा काश्त में है व उक्त आराजी अप्रार्थी सं० 1 व 2 ब0हि0ब0 संयुक्त रुप से काश्त कर रहे है। उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है व प्रार्थी को घरू बटवारां मे दोनो चकूकों में 84 बीघा कृषि भूमि दी हुई है प्रार्थी उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के हक व हिस्सा की 1/4 हिस्सा की आराजी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम [illegible] का अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में से प्रार्थी 1/4 हिस्सा की [illegible] खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी

व दावेदार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में से प्रार्थी का 1/4 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी के 1/4 हिस्सा की आराजी का खाता अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त रहने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपस मे रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने 1/4 हिस्सा की आराजी का खाता अच्छी मन्दी के अनुसार अलग से तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। चकनं0 3 केएसपी व चकनं0 5 केएसपी की आराजी जो प्रार्थी के दादा लिछमन राम के नाम से दर्ज है। प्रार्थी का दादा फौत हो चुका है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज चकनं0 3 केएसपी व चक 5 केएसपी की आराजी को अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करवाकर रहन, बैय तथा अन्य किसी तरीका से औने पौने दामों में बैचान करने पर आमादा है तथा प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि को हड़प करना चाहते है । अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 आपस में मिले हुए है अगर अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 ने उक्त भूमि का विरास्तन नामान्तकरण करवाकर भूमि को औने पौने दामों में बैचान कर दिया तो प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जावेगा तथा प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा आइन्दा मुकदमा बाजी बढेगी व प्रार्थी को अन्य अजनबी लोगो के साथ मुकदमा बाजी में उलझना पड़ेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है, ताईद में हल्फनामा प्रस्तुत है ।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 इस आशय की जारी की जावे कि लिछमण राम के नाम से चकनं0 3 में कुल केएसपी खाता सं0 84 में कुल 4.554 है0 व चकनं0 5 केएसपी खाता सं0 79 2.277 है० आराजी का अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 अपने नाम से विरास्तन नामान्तकरण करवाने व उक्त भूमि को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा अप्रार्थीया सं0 3 अपने नाम से दर्ज चकनं0 16 एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 128 में कुल 1.518 है0 कृषि भूमि को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने से व राजस्व रिकार्ड की मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादभूमि चक 3 केएसपी के खाता स0 84/67 में व चक 5 केएसपी के खाता स0 79/83 व चक 16 एसएल डबलयु के खाता स0 128/118 में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन बैय व अन्य तरीके से अन्ततिर करने से ममनू व बाज रहे। अप्रार्थी स0 2 की और से अधिवक्ता श्री अनिल सिडाना व अप्रार्थी स0 3 की और से अधिवक्ता श्री कर्मजीत सिह ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थनापत्र

ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या – 1 व 2 की सहमति से अप्रार्थीया संख्या–3 को चक 16 एस. एल. डब्ल्यू. के खाता संख्या – 101/93 में 1.518 है0 कृषि भूमि नाम दर्ज करवा दी जिसका कब्जाकाश्त अप्रार्थीया संख्या–3 के पास चला आ रहा है। मिन अप्रार्थी संख्या – 1 ता 3 के पिता लिछमणराम का स्वर्गवास होने के बाद प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या – 1 ता 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा अर्थात 11 बीघा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें अप्रार्थीया संख्या–3 का चक 16 एस.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या – 101/93 में 1.518 है0 व चक 5 के.एस.पी. में 1.265 है0 अर्थात 5 बीघा पर मिन अप्रार्थी सख्या–2 का चक 3 के. एस. पी. के खाता संख्या– 84 में 1.771 है० अर्थात 7 बीघा व चक 5 के. एस.पी. में 1.012 है० अर्थात 4 बीघा पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है । 4 यह कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या – 4 कतई गलत एंव निराधार है एंव मिथ्या अंकित दर्ज की गई है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–5 में मिन अप्रार्थी के पिता लिछमणराम का फौत होना स्वीकार है एंव लिछमणराम की मृत्यु उपरान्त स्व० लिछमणराम की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या – 2 मे वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या – 1 ता 3 का ब.हि.ब. हक बनता है जिस पर अप्रार्थी संख्या– 1 ता 3 का व.हि.ब. कब्जा चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी के मन में बेजा लालच की भावना आ चुकी है इसलिए प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–5 में मिथ्या अभिकथन किये है कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 में दर्ज चक 3 के. एस. पी. व चक 5 के. एस.पी. की आराजी को अप्रार्थी संख्या – 1 ता 3 अपने नाम से राजस्व रेकार्ड में विरासतन नामांतकरण दर्ज करवाकर रहन वैय व अन्य तरीका से वैचान करने पर आमादा है जबकि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि में से चक 16 एस. एल. डब्ल्यू. में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी संख्या–3 व चक 3 के. एस.पी. व चक 5 के. एस. पी. म वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या – 1 ता 3 के पिता लिछमणराम के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में है अगर स्थगन आदेश दिनांक 02.05.2023 खारिज नही किया गया तो मिन अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र नार्थी मय स्थगन आदेश दिनांक 02.05.2023 सव्यय निरस्त फरमाया जावे, अप्रार्थी स0 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि जवाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थी संख्या–3 निम्न प्रकार प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–3 में प्रार्थी का यह अभिकथन कि प्रार्थी का दादा फौत को चुका है, स्वीकार है शेष अभिकथनों से इंकारी है प्रार्थनापत्र की चरण संख्या – 3 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता लिछमणराम को अपने पिता अर्जनराम से प्राप्त हुई है। लिछमणराम ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या – 1 व 2 की सहमति से मिन अप्रार्थीया संख्या–3 को चक 16 एस. एल. डब्ल्यू. के खाता संख्या– 101 /93 में 1.518 है० कृषि भूमि नाम दर्ज करवा दी जिसका कब्जाकाश्त अप्रार्थीया संख्या–3 के पास चला आ रहा है। मिन अप्रार्थी संख्या–1 ता 3 के पिता लिछमणराम का स्वर्गवास होने के बाद प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या – 1 ता 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा अर्थात 11 बीघा पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें मिन अप्रार्थीया संख्या–3

का चक 16 एस. एल. डब्ल्यू. के खाता संख्या – 101/93 में 1.518 है० व चक 5 के.एस.पी. में 1.265 है० अर्थात 5 बीघा पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है यह कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या – 4 कतई गलत एवं निराधार है एवं मिथ्या अंकित दर्ज की गई है। यह कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या---5 में मिन अप्रार्थी के पिता लिछमणराम का फौत होना स्वीकार है एंव लिछमणराम की मृत्यु उपरान्त स्व० लिछमणराम की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या – 2 मे वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 ता 3 का ब.हि.ब. हक बनता है जिस पर अप्रार्थी संख्या–1 ता 3 का ब.हि.ब. कब्जा चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी के मन में बेजा लालच की भावना आ चुकी है इसलिए प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–5 में मिथ्या अभिकथन किये है कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 में दर्ज चक 3 के. एस.पी. व चक 5 के.एस.पी. की आराजी को अप्रार्थी संख्या–1 ता 3 अपने नाम से राजस्व रेकार्ड में विरासतन नामांतकरण दर्ज करवाकर रहन बैय व अन्य तरीका से बैचान करने पर आमादा है जबकि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि में से चक 16 एस.एल.डब्ल्यू. में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी संख्या – 3 व चक 3 के.एस.पी. व चक 5 के. एस.पी. में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या – 1 ता 3 के पिता लिछमणराम के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थीया संख्या–3 के पक्ष में है अगर स्थगन आदेश दिनांक 02.05.2023 खारिज नही किया गया तो मिन अप्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी मय स्थगन आदेश दिनांक 02.05.2023 सव्यय निरस्त फरमाया जावे, अप्रार्थी स0 1 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधी बहस की।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा प्रार्थी के हक व हिस्से व भूमि का अच्छी मंदी अनुसार विभाजन का निर्धारण मूल दावे के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड के अनुसार प्रार्थी के दादा लिछमण राम के नाम से चकनं0 3 केएसपी खाता सं0 84 में कुल 4.554 है0 व चकनं0 5 केएसपी खाता सं0 79 में कुल 2.277 है0 व प्रार्थी की बुआ अप्रार्थीया सं0 3 के नाम से चकनं0 16 एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 128 में कुल 1.518 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी के दादा लिछमण राम फौत हो चुके है उक्त कथन अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। प्रार्थी के अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकोर्ड में अलग से कायम करने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना है पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड के अनुसार वाद भूमि में प्रार्थी अपने हक हिस्से की मांग कर रहा है जो की वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होगा की प्रार्थी वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने की अधिकारी है या नही।

उपरोक्त विवेचनस्वरूप प्रार्थी अपने हिस्से तक की भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

के पक्ष में बन रहा है। जब तक प्रार्थी के हक हिस्सो का निर्धारण नही हो जाता तब तक अप्रार्थी 1 ता 3 को उक्त वाद भूमि में प्रार्थी के हिस्सा तक की हद तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी ना बढ़े, ।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से दिनांक 02.05.2023 को जारी की गयी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद स्वीकार की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28/4/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी